संख्या-3-ई.एम./2004-का-4-2005

प्रेषक,

आर.रमणी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनांक:: 22 नवम्बर, 2005

विषय:-कर्मचारियों/ शिक्षकों की हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा दिनांक 18.11.2005 से की जा रही हड़ताल के संबंध में, सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के अनुरूप हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाय।

(2) समस्त कार्यालयों में उपस्थिति की कड़ाई से जांच की जाय तथा जो कर्मचारी उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्य नहीं करते हैं उन्हें हड़ताल में सम्मिलित माना जाय।

(3) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी कर्मचारी को सामान्य रूप से अवकाश स्वीकृत न किया जाय।

(4) जिन सेवाओं में अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के प्राविधान प्रभावी हैं, वहां उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(5) कार्य पर आने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाय।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आर.रमणी)
मुख्य सचिव।